न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00173(257/2016)

जसविन्द्र कौर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी हरजिन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी श्यामसिंह कॉलोनी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह
2. जरनैल सिंह

पिसरान महेन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—वादीगण/प्रत्यर्थीगण

3. बलकार सिंह पुत्र महेन्द्र सिह जाति कम्बोज सिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. करतब सिंह पुत्र श्री सिंगारा सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्व आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, दिनांक 15.07.2013
प्रकरण संख्या 524/2013 अनवान जोगेन्द्र सिह बनाम बलकार सिह

उपस्थितिः—

श्री बलविन्द्र सिह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री छगनलाल सिडाना, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1
श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 ता 3
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:06:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 14.6.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने रास्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 क पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के दादा महेन्द्रसिह के नाम से चक नम्बर 12 सीडीआर जमाबन्दी सम्वत 2066–69 खाता संख्या 137/123 में कुल 3.542 है0 व चक नम्बर एसआरडब्ल्यू खाता संख्या 146/149 में कुल 0.506है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्गनत भूमि पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जनम से ही हक व हिस्सा बनता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने घराघरू बंटवारा अर्सा कदीम से कर रखा है व इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चल आ रहे हैं। वादीगण ने वाद पत्र की चरण 3 के अनुसार प्रश्नगत भूमि के विभाजन एवं घोषणा करने एवं महेन्द्रसिंह का नाम कलमजन किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया। विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर प्रश्नगत अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र एवं धारा 96 सीपीसी के साथ यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलार्थीया को उसके पिता श्री महेन्द्रसिंह की पुत्री होने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रकट नही किया गया है। अपीलार्थीया अपने पिता श्री महेन्द्रसिंह की वैध सन्तान है। जो कि पत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 3 की सगी बहन है जिसका अपने पिता महेन्द्रसिंह के नाम से अभिलेखित कृषि भूमि व अन्य चल अचल सम्पतियों में अपने भाइयों व अपनी माता के साथ बहिस्सा बराबर का हक व अधिकार निहित है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने बदयांतिपूर्वक व कपट से अपीलार्थीयाक`अपने पिता व अपनी माता की एक मात्र पुत्री होने के महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर अपीलार्थीया को अपने पिता की विरासत के अधिकारेां से वंचित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:06:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

है। वादपत्र को सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित नहीं करवाया है। इसलिए अपलार्थीया एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थीया को जानकारी नही थी जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी रेस्पोडेण्ट्स के पूर्वज महेन्द्रसिंह की आरजी थी जिसका घराघरू बंटवारा किया गया था। अपीलाधीन निर्णय का अपीलार्थीया को हमेशा से ही ज्ञान रहा है। अपीलार्थीया ने मिथ्या तथ्यों के आधार के आधार पर अपील पेश की है। अपीलार्थीया की अपील एवं अपील में याचित अनुतोष पूर्ण रूप से अवधि बाधित हैं। महेन्द्रसिह की मृत्यु दिनांक 06.08.1994को ग्राम सुरेवाला में हो गई थी ऐसी स्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनिमय के अनुसार पिता की मृत्य 2005 से पूर्वहोने पर पुत्री अपने पिता की कृषि भूमि में से कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। संशोधित हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (5) के अनुसार अपीलार्थीया महेन्द्रसिंह की कृषि भूमि में से कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। इसलिए वह बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में लॉ मीरर डोट कोम फाईल नम्बर 42844 सुप्रिम कोर्ट के प्रकरण संख्या प्रकाश बनाम फूलवती में पारित निर्णय की प्रतिप्रस्तुत की।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलार्थीया अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी इसलिए अपीलाधीन निर्णय का उसको ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलार्थीया का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अन्दर मियाद पेश की जाती है।

7. प्रश्नगत आराजी महेन्द्रसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलार्थीया महेन्द्र सिंह की पुत्री है। महेन्द्रसिंह की पुत्री के कारण प्रश्नगत भूमि में उसका हक हिस्सा है। इसलिए वह एक आवश्यक पक्षकार है। उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थीया को पक्षकार बनाये बिना जरिये

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:06:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजीनामा पारित करवाई गई है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थीया का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2013 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

14/6/23

(करनारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:06:02 IST
Reason: SelfAttested